संख्या– 178 /पीएस/सप्र./2020

प्रेषक,

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण — देहरादूनः दिनाँक 10 अगस्त, 2020

विषयः–कोविड–19 से संक्रमित रोगियों को होम–आइसोलेशन में उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधा के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्तमान में राज्य में कोविड–19 संक्रमण का प्रसार हो रहा है और इस संक्रमण से निपटने के लिए लगातार प्रत्येक स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। शासन के द्वारा कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के लिए होम–आइसोलेशन की सुविधा कुछ शर्तों के साथ अनुमन्य की गयी है। इस सम्बन्ध में सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोविड–19 की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि होम–आइसोलेशन में रखे जाने वाले प्रत्येक रोगी को इस सम्बन्ध में आपसे हुए विचार–विमर्श के अनुसार एक पल्स ऑक्सीमीटर (जो मरीज द्वारा होम–आइसोलेशन पूर्ण होने पर विभाग को वापस लौटाया जाएगा), एक मर्करी थर्मोमीटर, 50 ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, 100 ML सैनेटाइजर विटामिन सी की 15 गोलियां, विटामिन–डी 3 के 02 पाउच, पैरासीटामोल की 10 टेबलेट, एक लाल पॉलीथीन बैग (बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल हेतु), एक निर्देश पुस्तिका (एन.एच.एम. द्वारा मुद्रित) तथा चिकित्सकों द्वारा Asymptomatic COVID-19 Positive मरीजों को दी जाने वाली अन्य दवायें उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या– 178 /पीएस/सप्र/2020 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

10/8/20

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्रभारी)